

2618

47

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013

Order

Dated Shimla-171002, the

Sub :- Diversion of 1.3072 hectares of additional forest land in favour of Chief Executive Officer, Fresh & Healthy Enterprises Lts, (A wholly owned subsidiary of CONCOR, A Govt. of India Undertaking, Ministry of Railways, HSIDC Industrial Estate RAI Sonipat (Haryana) for the construction of Procurement Centre and controlled Atmosphere Storage Facility of 2000 MT Capacity at mauza Lavan(kingal), within the jurisdiction of Rohru Forest Division Distt. Shimla, HP.

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB105/2013-CHA दिनांक 29.07.13 के परिणामस्वरूप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 1.3072 hectare of additional वन भूमि को CEO, Fresh & Health Enterprises Ltd, (A wholly owned subsidiary of CONCOR, A Govt. of India Undertaking, under Ministry of Railways, HSIDC, Industrial Estate RAI, Sonipat, Haryana को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- 1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- 2 प्रस्तावित वन भूमि में दस वृक्ष और इक्कीस पौधे खड़े हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी गई Undertaking के अनुसार प्रस्तावित वन भूमि में खड़े वृक्षों और पौधों को नहीं कटवाया जायेगा।
- 3 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UPF Kanda C-149 में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये 6,01,100/- (छ लाख एक हजार एक सौ मात्र) की राशि से कुल 2.70 हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
- 4 साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तथा वन क्षेत्र की स्थिरता के लिये सभी सुरक्षा ऊपाय / पूर्व ऊपाय दृढतापूर्वक किये जायेंगे।
- 5 सीमेंट कंक्रीट के खम्भों जिन पर आगे तथा पीछे कम संख्या तथा एक खम्बे से दूसरे खम्बे की दूरी अंकित हों, प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा परियोजना खर्च पर पट्टे क्षेत्र का सीमांकन किया जाये।
- 6 No labour camp shall be established on the forest land.
- 7 The User Agency shall provide alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.
- 8 The user agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the flora and fauna available in the area.
- 9 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

ARCCF (FCM)

5/8/13
213

5/8/13
2122
5/8/13

- 248
- 10 A lease- deed of the forest land shall be executed by the user agency with Collector-cum- Deputy Commissioner, District Shimla, HP.
- 11 यदि कोई अन्य संबंधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।


आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार बिमला -2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA)

Dated, Shimla-171001 the... 2-8-13

Copy is forwarded to :-

1. Assistant Inspector General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110510.
2. Additional PCCF (Central), Regional Office, Govt. of India, Ministry of Environment and Forests, Bays No.24- 25, Sector-31 -A, Chandigarh- 160030.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer -cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001.
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
6. CEO, Fresh & Health Enterprises Ltd, (A wholly owned subsidiary of CONCOR, A Govt. of India Undertaking, under Ministry of Railways, HSIDC, Industrial Estate RAI, Sonapat, Haryana.
7. CCF, Rampur /DFO, Kotgarh Forest Division, Distt.Rohru H.P.
8. Guard File.


Under Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.